Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय चुनाव आयोग के कार्य, शक्तियाँ एवं मुख्य चुनौतियाँ और समाधान:वर्तमान संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. जे. के. संत*

* सहायक प्राध्यापक(राजनीति विज्ञान) शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत निर्वाचन आयोग जिससे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता हैं। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां जन–प्रतिनिधियों का चयन निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा होता है। निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यस्था के संचालन का दायित्व भारत चुनाव आयोग पर है। यह भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल और पात्रता आदि से संबंधित है।चुनाव आयोग में मूलत: केवल एक चुनाव आयोग का प्रावधान था, लेकिन अब इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया है, मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस अध्ययन में भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना उसका महत्व इसके विभिन्न कार्य शक्तियाँ वर्तमान चुनौतियाँ पर चर्चा कर उसके समाधान के प्रयास किया गया है। चुनाव आयोग केवल एक संवैधानिक संस्था नही है, बल्कि यह भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति का संरक्षक है। इसकी स्वायत्तता की रक्षा करना और इसे आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप ढालना समय की सबसे बड़ी मांग है।

शब्द कुंजी – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा, लोकतांत्रिक, संवैधानिक, निर्वाचन आयोग, शक्तियाँ और चुनौतियाँ।

प्रस्तावना – भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष लोक तंत्रात्मक गणराज्य है। हम भारत के लोग की अवधारणा से निर्मित संविधान में स्थापित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सौहार्द के ताने–बाने में रचा बसा है। संविधान में परिकल्पित लोकतंत्र की अवधारणा में संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकृत किया गया है। संसद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं दो सदन राज्यसभा और लोकसभा आते है। इस प्रकार राज्य विधायिकाओं में राज्यपाल और दो सदन विधान परिषद एवं विधानसभा शामिल है। छ: राज्यों– आंध्रप्रदेश, तेलंगना, बिहार, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक व्यस्था है और शेष 22 राज्यों में राज्यपाल और राज्य विधानसभा की व्यवस्था है। आठ संघ राज्य क्षेत्रों में से दो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों– दिल्ली और पुदुचेरी की अपनी विधान सभाएँ हैं। इनके कार्यों में निर्वाचक नामाबली की तैयारी, अद्यतन और सत्यापन, नामांकन, मतदान और परिणामों की तिथियाँ निर्धारित करना, आदर्श आचार संहिता जारी करना एवं इनका पालन सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह प्रदान करना आदि शामिल है। चुनाव आयोग को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे – राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और अपराधिक तत्वों का बोल–बाला बढ़ा है, और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का आपराधिकरण हुआ है। इससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे है। और यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दवाब में काम कर रहा है। इसके अलावा EVM में खराबी, हैक होने और वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता में विश्वास में कमी आती है। इस सभी पहलूओं पर विस्तृत विचार करते हुए आयोग के भूमिका का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इस अध्ययन का उद्देश्य चुनाव आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान कार्यप्रणाली, शक्तियाँ, चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ पर समग्र दृष्टि डालना है।

उद्देश्य:–

1. भारतीय चुनाव आयोग की ऐतिहासिक पृष्टभूमि व संरचना का अध्ययन करना।
2. भारतीय चुनाव आयोग की शक्तियों का अध्ययन करना।
3. भारतीय चुनाव आयोग के कार्य का अध्ययनन करना।
4. भारतीय चुनाव आयोग के महत्व को समझना।
5. भारतीय चुनाव आयोग की वर्तमान चुनौतियाँ व उसके समाधान का अध्ययन कर जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन शोध पद्धति:– भारतीय चुनाव आयोग के कार्य– शक्तियाँ एवं मुख्य चुनौतियाँ और समाधान वर्तमान संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन – का मूल्यांकन हेतु वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए विषय संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रिकाएँ, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री, समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख, विषय–विशेषज्ञों द्वारा लिखित

लेख, सरकारी संगठनों की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी एवं समीक्षा कर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है ।

चुनाव आयोग की ऐतिहासिक पृष्ट भूमि एवं संवैधानिक प्रावधान–

भारत चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है संविधान के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को गई थी। आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाया था। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रूझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा , पहली बार इस वर्ष 2011 में मनाया गया । इस वर्ष 1926 को सोलवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी 19 फरवरी 2025 से कार्यरत हैं। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व होता है। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 1950 में अपनी स्थापना से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था। जिससे केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही एक मात्र सदस्य थे। 16 अक्टूबर 1989 को मतदान की आयु 21वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई उसके परिणामस्वरूप चुनाव आयोग के बढ़ते कार्यभार को संभालने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय था। जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल थे। बाद में जनवरी 1990 में चुनाव आयुक्तों के दो पद समाप्त कर दिये गये और चुनाव आयोग को पूर्ववत् स्थिति में वापस ला दिया गया है, अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति द्वारा दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के साथ यह प्रक्रिया फिर से दोहराई गई, तब से चुनाव आयोग तीन आयुक्तों से मिलकर बना एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता है। संविधान भारत के चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधान सभाओं, भारत के राष्ट्रपति पद और भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान देने योग्य है कि आयोग राज्यों में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों से संबंधित मामलों को नहीं देखता है। इसलिए भारत के संविधान द्वारा एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का भाग पन्द्रह चुनाव से संबंधित है जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कहीं गई है। संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल और पात्रता आदि से संबंधित है।

भारत के चुनाव आयोग की मुख्य शक्तियाँ:

1. परिसीमन – संसद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना।
2. मतदाता सूची – मतदाता सूचियों को तैयार करना और उन्हें अपडेट करना।
3. चुनाव कार्यक्रम – चुनाव की तिथियों और कार्यक्रमों की सूचना देना और उनकी घोषणा करना।
4. नामांकन – नामांकन पत्रों की जांच करना।
5. मान्यता देना – राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आधिकारिक मान्यता प्रदान करना।
6. चुनाव चिंह – राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिंह आवंटित करना।
7. आचार संहिता – चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना।
8. निरस्तीकरण – चुनाव में अनियमितता या धांधली होने पर चुनाव को रद्द करने की शक्ति।
9. निगरानी – सम्पूर्ण चुनाव तंत्र और मशीनरी की निगरानी करना।

भारत के चुनाव आयोग की मुख्य कार्य:

1. तैयारी और पंजीकरण – मतदाता सूची तैयार करना और मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना ।
2. नियोजन और प्रबंधन – चुनाव का कार्यक्रम तय करना मतदान केन्द्रों का आवंटन करना और चुनाव प्रक्रिया का निर्देशन व नियंत्रण करना।
3. आचार संहिता – आदर्श आचार संहिता लागू करना ताकि चुनाव के दौरान कोई भी दल गलत फायदा न उठा सके।
4. वित्तीय निगरानी – चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित करना और उस पर निगरानी रखनां।
5. चुनाव संचालन – लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का सफल संचालन करना।
6. परिणाम और समाधान – मतों की गणना करना, चुनाव परिणाम घोषित करना और चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करना।
7. तकनीकि उपयोग – पारदर्शी चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करना।

भारत के चुनाव आयोग की मुख्य चुनौतियाँ और समाधान :–

1. धन और हिंसा का प्रभाव–

चुनौती– चुनाव के दौरान धन बल का अत्यधिक उपयोग और बढ़ती हिंसा आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती हैं।

समाधान – cVIGIL app नागरिक इसके जरिये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या धन वितरण की तुरंत षिकायत कर सकते है।

2. चुनावी कदाचार और पारदर्शिता –

चुनौती – धन बल का प्रयोग, फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याएं निष्पक्षता में बाधा डालती हैं।

समाधान – उड़न दस्तों की शक्रियता, मतदान केंद्रों पर सी.सी.टी.वी. निगरानी और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन ।

3. ई.वी.एम. और तकनीक पर विश्वास –

चुनौती – ई.वी.एम. में खराबी या उसके साथ छेड़–छाड़ की आशंकाओं के कारण जनता का भरोसा कम होना।

समाधान – वी.वी. पैट का अनिवार्य उपयोग और नियमित रूप से रैंडम मशीनों की पर्चीयों का मिलान करना।

4. आयोग की स्वायत्ता और निष्पक्षता –

चुनौती – आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका (सरकार) का प्रभाव होने से आयोग की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं।

समाधान – सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुसार, चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक स्वतंत्र समिति (जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मंत्री मंडल के सदस्य शामिल हो) का प्रभावी होना आवश्यक हैं।

5. साशल मीडिया और दुष्प्रचार –

चुनौती – चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और हेट स्पीड के जरिये मतदाताओं को प्रभावित करना।

समाधान – सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता और चुनाव आयोग में एक विशेष मीडिया निगरानी सेल की स्थापना ।

6. मतदाता उदासीनता और भागीदारी

चुनौती – शहरी क्षेत्रों और युवाओं में मतदान के प्रति कम उत्साह साथ ही वरिष्ठ नागरिकों

(साठ वर्ष से ऊपर) को बूथ तक पहूँचने में कठिनाई।

समाधान – स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता फैलाना और अस्सी या वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्टल वैलेट (घर से मतदान) की सुविधा प्रदान करना।

निष्कर्ष– भारतीय चुनाव आयोग विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं, चुनाव आयोग में पिछले दशकों में अपनी निष्पक्षता और स्वायत्तता से भारतीय मतदाताओं का भरोसा जीता हैं। आदर्श चुनाव संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराकर इसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव मजबूत की हैं, ई.वी.एम. और वी.वी. पैट जैसे तकनीकों के उपयोग से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति बढ़ायी हैं, जो एक सराहनीय कदम है। भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग का निरंतर सशक्तिकरण आवश्यक है। चुनाव सुधारों (जैसे– चुनावी बांड पर स्पष्टता, त्वरित सजा और चुनाव खर्च की सीमा) को लागू करने और निर्वाचन प्रक्रिया में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाकर ही हम एक सशक्त और समावेशी लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आयोग को न केवल स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि वह स्वतंत्र दिखना भी चाहिए, ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिंह देवेन्द्र (2007) चुनावी सुधार और भारतीय राजनीति, किताब महल, इलाहाबाद।
2. जोशी, आदित्य (2010) चुनाव और मतदाता भागीदारी, वैदिक बुक डिपो भोपाल।
3. पाण्डेय सुरेश (2011) लोक तंत्र और निर्वाचन आयोग, कंचन पब्लिशर्स, जयपुर।
4. गुप्ता, राकेश (2016) भारतीय लोक तंत्र और आधुनिक चुनौतियाँ, दीपशिखा प्रकाशन, नागपुर।
5. जोशषी भावना (2022) चुनाव और सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय बुक डिपो भोपाल।
6. डॉ. नरेन्द्र कुमार मीना शोध पत्र IJPSG 2025:07(6):66-69
7. भारत में निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान व्यवहार– कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
8. भारत का संविधान – म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
9. वेबसाइट (इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री)

****